(14)

मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कमांक–विभागीय जांच/2007–63/383 भोपाल, दिनांक– 02/02/2008

आदेश

म.प्र. राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम, 1998 में सेवा निवृत्त सेवकों द्वारा पदस्थापना अवधि में की गई अनियमितताओं के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1976 के नियम 9 (1) के तहत पेंशन रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाती है। इस संबंध में पृथक से कोई प्रावधान म.प्र. राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम,1998 में नही है। सेवा निवृत्त सेवकों की अंशतः पेंशन रोकने संबंधी पारित दण्डादेश संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है जिससे इस प्रकिया में विलंब होना स्वभाविक है। पेंशनधारी सेवक अपील माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते है जिसका सेवा विनियम में प्रावधान न होने के कारण प्रस्तुत अपील पर निर्णय लेने में कठिनाईयां होती है। इसके अतिरिक्त म.प्र. शासन में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1976 के नियम 9 (2) (1) के तहत पारित आदेश अपने आप में अंतिम आदेश है तथा ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील का कोई प्रावधान नियमों में नही है और न ही पुनर्विलोकन का कोई प्रावधान है। अतः पेंशन नियमों के अधीन पारित दण्डादेश के विरूद्ध न तो अपील की जा सकती है और न ही ऐसे दण्डादेश का पुनर्विलोकन किया जा सकता है ऐसे नियम म.प्र. शासन द्वारा बनाये गये है।

म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम,1972 की धारा 81–क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 107वीं बैठक दिनांक 26.12.2007 के प्रस्ताव कमांक–35 में लिए गए निर्णय के परिपालन में "म.प्र. राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम, 1998" के विनियम 30(छः) के पश्चात् विनियम 30(सात) पेंशन रोकने का नवीन विनियम निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

30 (सात)

" म.प्र. राज्य मण्डी बोर्ड सेवकों द्वारा पदस्थापना के दौरान की गई अनियमितता के विरूद्ध सेवा निवृत्ति उपरान्त विनियम 30(सात) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी अंशतः(भागतः) या पूर्णतः स्वविवेक से माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन पश्चात् पेंशन रोक सकेगा। पेंशन का कोई अंश रोका अथवा वापस लिया जाता है, तो पेंशन की ऐसी धनराशि न्यूनतम पेंशन जैसा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जावें, से कम नहीं होगी। पेंशन रोकने के संबंध में पारित दण्डादेश अंतिम होगा। ऐसे आदेश के विरूद्ध न तो अपील की जा सकती है और न ही ऐसे दण्डादेश का पुनर्विलोकन किया जा सकता है "

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(एस.एस. उप्पल) 11/02/08
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

(15)

क्रमांक–विभागीय जांच/2007–63/384 भोपाल, दिनांक– 02/02/2008

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक, माननीय अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक/अनुभाग अधिकारी (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
4. उप संचालक (भण्डार) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल की ओर सेवा विनियम में संशोधन हेतु।
5. उप संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय,..... की ओर भेजकर लेख है कि आपने संलग्न के अधिनस्थ मण्डी समिति के सचिवों को आदेश की प्रति अपने स्तर से सर्व कराना सुनिश्चित करें तथा सर्व होने संबंधी सूचना इस कार्यालय को भिजवायें।
6. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति,..... जिला.....
7. सूचना पटल।
8. आदेश नस्ती।

01/02/08

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

भोपाल